संख्या : 28-दो(1)/XXXVI(1)/2006-36-दो(1)/03

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आर्शीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : देहरादून : दिनांक 26 सितम्बर, 2006

विषय: जिला चम्पावत में न्याय विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1864/यू.एच.सी./एडमिन.बी/निर्माण/2005,दिनांक 19.7.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला चम्पावत में न्याय विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष कार्यों हेतु रु० 1,49,62,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 1,23,70,000/- (रुपये एक करोड़ तेईस लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन (प्रति संलग्न) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त संस्तुत आगणन के विपरीत रु० 1,00,00,000.00(रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में अल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा अन्य से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल

(9) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।

(10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-00-अयोजनागत-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-570/XXVII(5)/2006, दिनांक 20.9.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशीष)
सचिव ।

संख्या-28-दो(1)/XXXVI(1)/2006-36-दो(1)/03-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तरांचल, मालरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता(कु०क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. प्रभारी आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।